छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2227600 ईमेल snrc.cg@gmail.com, वेबसाइट www.cgnrc.org

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/निरी./2024/.......... रायपुर, दिनांक ..../..../2024

//आदेश//

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षणकर्ता के अभिमत के आधार पर कोर कमीटी के स्कुटनी उपरांत अनुशंसा एवं अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत निम्न उल्लेखित संस्था को **शैक्षणिक सत्र 2024–25 की मान्यता निम्नलिखित शर्तो के साथ** प्रदान की जाती है:–

स.क.	महाविद्यालय का नाम व पता	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	शिवम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पंजाब नेशनल बैंक सामने, फॉरेस्ट नाका के पास, रायपुर रोड, गरियाबंद (छ.ग.)	बी.एस.सी. नर्सिंग	80

1. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधायें, प्रशिक्षण हेतु भवन/छात्रावास एवं स्टॉफ की व्यवस्था रखनी होगी।
2. संस्था को छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त करने के 06 माह के भीतर अधिनियम के धारा 13 के तहत् भारतीय उपचर्या परिषद् को नियमानुसार निरीक्षण के लिए आवेदन करेगा।
3. संस्था का वार्षिक निरीक्षण, छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा प्रतिवर्ष तथा औचक निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा मापदंड अनुसार संस्था संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में, अनुमति निरस्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
4. संस्था द्वारा नर्सिंग पाठयक्रम एवं भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमों/मापदंडो का पालन किया जाना अनिवार्य है।
5. केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन–पाठन इत्यादि के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।
6. शिक्षण शुल्क छ.ग. शासन के नियमानुसार फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगी।
7. यदि आपका किराये का भवन है तो संस्था द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमानुसार स्वयं का भवन निर्माण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा अर्थदंड एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु आपके शपथ पत्र के आधार पर अर्थदंड राशि रू. 1,00,000/– (अक्षरी एक लाख रूपये) छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जमा किये जाने पर प्रदान की जा रही है, जो कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 (छ.ग. शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार) हेतु ही प्रभावशील होगा। यदि आपके शपथ पत्र के अनुसार **01 वर्ष के भीतर (अंतिम अवसर)** में नियमानुसार स्वयं का भवन निर्माण का कार्य नहीं किया जाता है, तो आगामी वर्ष 2025–26 की मान्यता/अनुमति दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः...

Scanned with OKEN Scanner

पृ. कमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/निरी./2024/3257 रायपुर, दिनांक 08/08/2024

प्रतिलिपिः—
1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. क्लेक्टर, ... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, ... की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला .... की ओर सूचनार्थ।
9. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कुलसचिव, पं. दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, उपरवारा, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. **प्राचार्य, शिवम् कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पंजाब नेशनल बैंक सामने, फॉरेस्ट नाका के पास, रायपुर रोड, गरियाबंद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।**
12. कार्यालयीन प्रति।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner